



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बुधवार, 8 नवम्बर, 2023

कार्तिक 17, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 489/79-वि-1-2023-2-क-20-2023

लखनऊ, 8 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2023) जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2023

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2023)

[भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं:-

1-यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2023 कहा संक्षिप्त नाम जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
29 सन् 1974 द्वारा
यथासंशोधित और
पुनः अधिनियमित
राष्ट्रपति अधिनियम
संख्या 10
सन् 1973 की
धारा 4 का
संशोधन

धारा 50 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे “मूल अधिनियम” कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1—क) में, खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

“(ट) एक विश्वविद्यालय जिसे माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर के रूप में जाना जायेगा;

(ड) एक विश्वविद्यालय जिसे माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर के रूप में जाना जायेगा;

(ढ) एक विश्वविद्यालय जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद के रूप में जाना जायेगा;”।

3—मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1—ज) के पश्चात् निम्नलिखित उप धाराएं बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

“(1—झ) जब तक कि इस धारा के अधीन माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की प्रथम परिनियमावली नहीं बना ली जाती है तब तक डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या की परिनियमावली, जैसा कि यह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।

(1—ञ) जब तक कि इस धारा के अधीन माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर की प्रथम परिनियमावली नहीं बना ली जाती है तब तक महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।”

“(1—झ) जब तक कि इस धारा के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की प्रथम परिनियमावली नहीं बना ली जाती है तब तक महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।”

धारा 52 का
संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 52 में, उप धारा (2—छ) के पश्चात् निम्नलिखित उप धाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

“(2—ज) जब तक कि उप धारा (2) के अधीन माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर के प्रथम अध्यादेश नहीं बना लिया जाता है तब तक डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।

(2—झ) जब तक कि उप धारा (2) के अधीन माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर के प्रथम अध्यादेश नहीं बना लिया जाता है तब तक, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।

(2-3) जब तक कि उप धारा (2) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद के प्रथम अध्यादेश नहीं बना लिया जाता है तब तक महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यादेश इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।”

5-मूल अधिनियम की अनुसूची में ,—

अनुसूची का संशोधन

(क) क्रम संख्या-6 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

“6. डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या—

(एक) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना होने तक अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा और सुल्तानपुर जिले

(दो) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना हो जाने पर अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी और सुल्तानपुर जिले”

(ख) क्रम संख्या-7 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

“7. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली—

(एक) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना होने तक बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर), रामपुर और सम्भल जिले

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना हो जाने पर बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर जिले”

(ग) क्रम संख्या-10 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

“10. महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी—

(एक) माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर की स्थापना होने तक वाराणसी, चंदौली, भदोही (संत रविदास नगर), मिर्जापुर, सोनभद्र जिले;

(दो) माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर की स्थापना हो जाने पर वाराणसी, चंदौली जिले,”

(घ) क्रम संख्या-13 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

“13. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर—

(एक) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना होने तक बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज और सिद्धार्थ नगर जिले

(दो) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना होने तक बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज और सिद्धार्थ नगर जिले”

(ड.) क्रम संख्या-17 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

“18. माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर
बलरामपुर और श्रावस्ती जिले

कठिनाईयों को दूर
किया जाना

19—माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, भदोही (संत रविदास नगर),
मिर्जापुर सोनभद्र जिले

20—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर), बिजनौर,
मुरादाबाद, रामपुर, सम्भल जिले”

6—(1) राज्य सरकार माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर या माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबंध, ऐसी कालावधि में, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अधीन चाहे वे उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश, इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्षों के पश्चात् नहीं किया जायेगा;।

(2) उप धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 489(2)/LXXIX-V-1-2023-2-ka-20-2023

Dated Lucknow, November 8, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalay (Sanshodhan) Adhyadesh, 2023 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 18 of 2023) promulgated by the Governor. The Uchcha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2023

(U.P. ORDINANCE NO. 18 OF 2022)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-fourth Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2023.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1-A after clause (k), the following clauses shall be inserted, namely:-

Amendment of section 4 of President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974

"(l) a University to be known as Maa Pateswari Devi State University, Balrampur;

(m) a University to be known as Maa Vindhya Vasini State University, Mirzapur;

(n) a University to be known as Uttar Pradesh State University, Moradabad;"

3. In section 50 of the principal Act, after sub-section (1-H), the following sub-sections shall be inserted, namely :-

Amendment of section 50

"(1-I) Until the First Statutes of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur are made under this section, the Statutes of the University of Dr. Ram Manohar Lohiya Awadh University, Ayodhya as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.

(1-J) Until the First Statutes of Maa Vindhya Vasini State University, Mirzapur are made under this section, the Statutes of the University of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.

(1-K) Until the First Statutes of Uttar Pradesh State University, Moradabad are made under this section, the Statutes of the Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide."

4. In section 52 of the principal Act, after sub-section (2-G) the following sub-sections shall be *inserted*, namely :-

Amendment of section 52

"(2-H) Until the First Ordinances of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur are made under sub-section (2), the Ordinances of the Dr. Ram Manohar Lohiya Awadh University, Ayodhya, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.

(2-I) Until the First Ordinances of Maa Vindhya Vasini State University, Mirzapur are made under sub-section (2), the Ordinances of the University of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.

(2-J) Until the First Ordinances of Uttar Pradesh State University, Moradabad are made under sub-section (2), the Ordinances of the Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide."

Amendment of
Schedule

5. In the Schedule to the principal Act,—

(a) for the entries appearing at serial no. 6, the following entries shall *substituted*, namely :-

"6. Dr. Ram Manohar Lohiya Awadh University, Ayodhya -

- | | | |
|------|--|---|
| (i) | Until the establishment of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur. | Districts of Ambedkar Nagar, Ayodhya, Bahraich, Barabanki, Gonda and Sultanpur. |
| (ii) | Upon the establishment of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur. | Districts of Ambedkar Nagar, Ayodhya, Barabanki, and Sultanpur." |

(b) for the entries appearing at serial no. 7, the following entries shall *substituted*, namely :-

"7. Mahatma Joytiba Phule Rohilkhand University, Bareilly -

- | | | |
|------|---|---|
| (i) | Until the establishment of Uttar Pradesh State University, Moradabad. | Districts of Bareilly, Budaun, Pilibhit, Shahjahanpur, Moradabad, Bijnor, Amroha (Jyotiba Phule Nagar), Rampur and Sambhal. |
| (ii) | Upon the establishment of Uttar Pradesh State University, Moradabad. | Districts of Bareilly, Budaun, Pilibhit, Shahjahanpur." |

(c) for the entries appearing at serial no. 10, the following entries shall *substituted*, namely :-

"10. Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi -

- | | | |
|------|--|---|
| (i) | Until the establishment of Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur. | Districts of Varanasi, Chandauli, Bhadohi (Sant Ravidas Nagar), Mirzapur, Sonbhadra |
| (ii) | Upon the establishment of Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur. | Districts of Varanasi, Chandauli." |

(d) for the entries appearing at serial no. 13, the following entries shall *substituted*, namely :-

"13. Siddharth University, Kapilvastu, Siddharth Nagar -

- | | | |
|------|--|--|
| (i) | Until the establishment of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur. | Districts of Balrampur, Shravasti, Basti, Sant Kabir Nagar, Maharajganj and Siddharth Nagar. |
| (ii) | Upon the establishment of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur. | Districts of Basti, Sant Kabir Nagar, Maharajganj and Siddharth Nagar." |

(e) after serial no. 17, the following serial numbers and entries relating thereto shall column-wise be *inserted*, namely:-

- | | | |
|------|---|--|
| "18. | Maa Pateswari Devi State University, Balrampur. | Bahraich, Gonda, Shravasti Districts. |
| 19. | Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur. | Mirzapur, Bhadohi (Sant Ravidas Nagar), Sonbhadra Districts. |
| 20. | Uttar Pradesh State University, Moradabad. | Amroha (Jyotiba Phule Nagar), Moradabad, Rampur, Sambhal Districts." |

6. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in relation to the establishment of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur, or Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur, or Uttar Pradesh State University, Moradabad, by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient :

Power to
remove
difficulties

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Ordinance .

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature , as soon as may be, after it is made.

ANANDIBEN PATEL
*Governor,
Uttar Pradesh.*

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.